

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा राजनीति विज्ञान के रूप में उनके नाम के सम्मुख विद्यालयों/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 से अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (रा0वि0) एवं समकक्ष मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) श्री/सुश्री/श्रीमती	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री प्रसादी लाल - आरपी समग्र शिक्षा, ब्लॉक शिक्षा पंचायत समिति शाहबाद	बांरा	10.02.1959	28.02.2019
2	श्री सरदार सिंह - सैनीपुरा	झुंझुनू	01.01.1959	31.12.2018
3	श्री मिलखा सिंह - 25 एच दलपतसिंहपुर	श्री गंगानगर	01.01.1959	31.12.2018
4	श्री रामानन्द - एबीईईओ बहरोड़	अलवर	30.12.1958	31.12.2018

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2018-19/2018

दिनांक:- 22.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ———
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
5. संबंधित संस्था प्रधान.....
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर